Annexure-II

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Officer of the District Collector Surguja
****

No. 4896 Dated 13.02.2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditionai Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 614.219 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited** for **Coal Mining(Parsa Coal Block)**in **Surguja** district falls within Jurisdiction of **Salhi, Hariharpur, Fatehpur and Ghatburra** village(s) in **Udaipur** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **614.219** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure - 01 to 101 annexure.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Salhi, Hariharpur, Fatehpur and Ghatburra** village(s) is enclosed as annexure 51 to 57 annexure.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it; **Not applicable.**

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA. **Proposal do not have such groups.**

Encl.: As above.

Assistant Commissioner
Tribal Development Ambikapur
Distt.- Surguja (C.G.)

(Kiran Kaushal)
COLLECTOR
DIST- SURGUJA

Van Adhikar leatter

प्रपत्र ।।

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ0ग0

प्रकरण क्रमांक

क्रमांक 4896 दिनांक: 13/02/2018

पर्यावरण एवं वनमंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11–9/98–एफ. सी. (पी.टी.) दिनांक 03/08/2009 के परिपालन में जिसमें पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार गैरवानिकी प्रयोग के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों के निर्धारण की समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली गई है। प्रमाणित किया जाता है कि **614.219** हैक्टेयर वनभूमि का व्यपवर्तन **राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड** को आबंटित **परसा कोल ब्लॉक** के पक्ष में ग्राम **साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर एवं घाटबर्रा** तहसील **उदयपुर** जिला **सरगुजा** में प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि:–

1. वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकारों के चिन्हांकन एवं निर्धारण कि सम्पूर्ण कार्यवाही का निष्पादन व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित **614.219** हैक्टेयर भूमि पर किया जा चुका है। वनअधिकार समिति, ग्रामसभा, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के अभिलेख की प्रति अनुक्रमांक 01 से 101 संलग्न है।

2. व्यपवर्तन प्रकरण का प्रस्ताव (परियोजना के विवरण के साथ एवं मात्भाषा / स्थानीय भाषा में) वनअधिकार अधिनियम के तहत पात्रता रखने वाले वन निवासियों के संबंधित ग्रामसभा के समक्ष रखा गया।

3. ग्राम सभा द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निष्पादित समस्त प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं का सत्यापन किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तावित व्यपवर्तन और दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति व अन्य लाभो के लिए सहमति दी गई एवं प्रस्तावित व्यपवर्तन के उद्देश्य एवं विवरण को समझ लिया गया। ग्राम सभा द्वारा जारी प्रमाण पत्र **साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर एवं घाटबर्रा**(ग्राम) अनुक्रमांक 51 से 57 संलग्न है।

4. जो भी चर्चायें हुई एवं निर्णय लिए गए एवं ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि पर शासन द्वारा संचालित सुविधाओं पर वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(2) में निहित प्रावधानों की प्रक्रिया ग्रामसभाओं से सहमति दिये जाने पर पूर्ण कर ली गई है।**यह बिन्दु प्रस्तावित वन क्षेत्र पर लागू नहीं है।**

6. प्राचीन जनजाति समूह एवं कृषि पूर्व आदिम समाज के अधिकार वनअधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तंर्गत विशेष रूप से संरक्षित जनजाति के लोग उक्त क्षेत्र मे निवासरत नहीं हैं।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

Assistant Commissioner
Tribal Development Ambikapur
Distt.- Surguja (C.G.)

(श्रीमती किरण कौशल)
कलेक्टर
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ0ग0

Van Adhikar leatter

FORM-II

(for project other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Surajpur

****

Case no- 17/B-121/2016-17

No. 172

Dated 27/03/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that **227.319** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited** for **Coal Mining (Parsa Coal Block)** in **Surajpur** district falls within Jurisdiction of **Tara and Janardanpur** village(s) in **Premnagar** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 227.319 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure 16.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Tara and Janardanpur** village(s) is enclosed as annexure **01** to annexure 02.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it; **Not applicable.**

(f) The Rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA. Proposal do not have such groups.

Encl.: As above.

25/3/17

(G.R. Churendra)

COLLECTOR

DIST. – SURAJPUR

(542)

प्रपत्र ।।

छत्तीसगढ़ शासन

न्यायालय कलेक्टर जिला–सूरजपुर

प्रकरण कमांक / 7ब–121/16–17

कमांक 172

दिनांक. 27/03/2017

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांक 11–9/98–एफ. सी. (पी.टी.) दिनांक 03/08/2009 के परिपालन में जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गैर वानिकी प्रयोग के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों के निर्धारण की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। प्रमाणित किया जाता है कि **227.319** हे0 वनभूमि का व्यपवर्तन **राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड** को आबंटित परसा **कोल ब्लॉक** के पक्ष में ग्राम **तारा** एवं **जनार्दनपुर** तहसील **प्रेमनगर** जिला **सूरजपुर** में प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है किः–

1. वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकारों के चिन्हांकन एवं निर्धारण की सम्पूर्ण कार्यवाही का निष्पादन व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित **227.319** हे. भूमि पर किया जा चुका है। वन अधिकार समिति, ग्रामसभा, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के अभिलेख की प्रति कमांक 01 से 18 अनुसार संलग्न है।
2. व्यपवर्तन प्रकरण का प्रस्ताव (परियोजना के विवरण के साथ एवं मातृभाषा/स्थानीय भाषा में) वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्रता रखने वाले वन निवासियों के संबंधित ग्राम सभा के समक्ष रखा गया।
3. ग्रामसभा द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निष्पादित समस्त प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं का सत्यापन किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तावित व्यपवर्तन और दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति व अन्य लाभों के लिए सहमति दी गई एवं प्रस्तावित व्यपवर्तन के उद्देश्य एवं विवरण को समझ लिया गया। ग्रामसभा द्वारा जारी प्रमाण पत्र **तारा** एवं **जनार्दनपुर** (ग्राम) के कमांक 01 से 02 अनुसार संलग्न है।
4. जो भी चर्चायें हुई एवं निर्णय लिए गए एवं ग्रामसभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि पर शासन द्वारा संचालित सुविधाओं पर वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(2) में निहित प्रावधानों की प्रक्रिया ग्राम सभाओं से सहमति दिये जाने पर पूर्ण कर ली गई है। **यह बिन्दु प्रस्तावित वन क्षेत्र पर लागू नहीं है।**
6. प्राचीन जनजाति समूह एवं कृषि पूर्व आदिम समाज के अधिकार वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ई) अन्तंर्गत विशेष रुप से संरक्षित जनजाति के लोग उक्त क्षेत्र में निवासरत नहीं है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

25/3/17

(जी.आर.चुरेन्द्र)

कलेक्टर

जिला–सूरजपुर